

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 123/2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2020/00361

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1.भंवरसिंह पुत्र कानसिंह

2.जालमसिंह पुत्र कानसिंह

3.नरपतसिंह पुत्र कानसिंह

4.लादूसिंह पुत्र कानसिंह

जाति राजपूत निवासी अराबा चौहान

तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर

व जिला बालोतरा

1.अर्जुनसिंह पुत्र मंगलसिंह

2.सवाईसिंह पुत्र मंगलसिंह

3.जबरसिंह पुत्र मंगलसिंह

4.रूपसिंह पुत्र मंगलसिंह

5.उगमसिंह पुत्र मंगलसिंह

6.छैलकंवर पत्नी मंगलसिंह

7.गणपतसिंह पुत्र भोपालसिंह

8.भोजराजसिंह पुत्र भोपालसिंह

9.नारायणसिंह पुत्र भोपालसिंह

10.प्रेमसिंह पुत्र भोपालसिंह

11.श्रवणसिंह पुत्र भोपालसिंह

जाति राजपूत निवासी अराबा चौहान
तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील
कल्याणपुर

12.चर्तुभूज सोनी पुत्र आसूराम
जाति सोनी निवासी तालिया देवात
तहसील शेरगढ जिला जोधपुर हाल
गांव अराबा चौहान तहसील पचपदरा
वर्तमान तहसील कल्याणपुर

13.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा वर्तमान तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता वादीगण

2.प्रतिवादी एकतरफा।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा



निर्णय

दिनांक- 28.11.2025

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा आसराबा चौहान तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 185/97 रकबा 13.18 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 15.01.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय-पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा आसराबा चौहान तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 185/97 रकबा 13.18 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	किस्म	लगान	बरंग
1	भंवरसिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/4 जालमसिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/4 नरपतसिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/4 लादूसिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/4 जाति राजपुरोहित सा. देह खातेदार।	आसराबा चौहान	185/97	1.1250	बा.दो.	1.25	हरा
2	1.अर्जुनसिंह पुत्र मंगलसिंह हि. 902/11120 2.उगमसिंह पुत्र मंगलसिंह हि. 902/11120 रहन- SBBJ शाखा कल्याणपुर 3.नाबालिग गजेन्द्रसिंह पुत्र सवाईसिंह संरक्षक रेखाकंवर हि. 902/33360 4.गणपतसिंह पुत्र भोपालसिंह हि. 1/10 5.छैलकंवर पत्नि मंगलसिंह हि.902/11120 रहन-SBBJ शाखा कल्याणपुर 6.जबरसिंह पुत्र मंगलसिंह हि. 902/11120 7.नारायणसिंह पुत्र भोपालसिंह हि. 1/10 8.प्रेमसिंह पुत्र भोपालसिंह हि. 1/10 9.भोजराजसिंह पुत्र भोपालसिंह हि. 1/10 10.रूपसिंह पुत्र मंगलसिंह हि. 902/11120	आसराबा चौहान	185/97	1.1250	बा.दो.	1.25	लाल

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,

11.श्रवणसिंह पुत्र भोपालसिंह हि. 1/10						
12.बबलु कंवर पुत्री सवाईसिंह हि. 902/33360						
13.रेखा कंवर पत्नि स्व. सवाईसिंह हि. 902/33360 जाति राजपूत सा. देह खातेदार						
14.चतुर्भुज सोनी पुत्र आसूसिंह हि.74/5560 जाति सोनी सा. तलिया देवात तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर खातेदार।						


तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण

भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में
विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।
डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें ।


(अशोक कुमार) 28/11/25
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28-11-25 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।




सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा 28/11/25

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 123/2020
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2020/00361

वादीगण


बनाम

प्रतिवादी

- 1.भंवरसिंह पुत्र कानसिंह
- 2.जालमसिंह पुत्र कानसिंह
- 3.नरपतसिंह पुत्र कानसिंह
- 4.लादूसिंह पुत्र कानसिंह

जाति राजपूत निवासी अराबा चौहान
तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर
व जिला बालोतरा

- 1.अर्जुनसिंह पुत्र मंगलसिंह
 - 2.सवाईसिंह पुत्र मंगलसिंह
 - 3.जबरसिंह पुत्र मंगलसिंह
 - 4.रूपसिंह पुत्र मंगलसिंह
 - 5.उगमसिंह पुत्र मंगलसिंह
 - 6.छैलकंवर पत्नी मंगलसिंह
 - 7.गणपतसिंह पुत्र भोपालसिंह
 - 8.भोजराजसिंह पुत्र भोपालसिंह
 - 9.नारायणसिंह पुत्र भोपालसिंह
 - 10.प्रेमसिंह पुत्र भोपालसिंह
 - 11.श्रवणसिंह पुत्र भोपालसिंह
- जाति राजपूत निवासी अराबा चौहान
तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील
कल्याणपुर
- 12.चर्तुभूज सोनी पुत्र आसूराम
जाति सोनी निवासी तालिया देवात
तहसील शेरगढ जिला जोधपुर हाल
गांव अराबा चौहान तहसील पचपदरा
वर्तमान तहसील कल्याणपुर
 - 13.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा वर्तमान तहसीलदार कल्याणपुर



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 123/2020
निर्णय दिनांक :-28.11.2025


वादीगण की ओर से श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा, इस वाद में आज तारीख 28.11.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 28.11.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिए जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

राजस्व वाद संख्या 123/2020
भंवरसिंह बनाम अर्जुनसिंह वगैरा


यह आज तारीख 28.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	_____
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस	_____	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	_____	जोड़	_____




सहायक कलक्टर 28/11/2025
(एस.डी.ओ.)बालोतरा